

Provision for Coal in States

*444. SHRI T. A. PAI: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) have the State Governments asked for provision to receive coal within the States;

(b) which are the State Governments; and

(c) what is the reaction of the centre to this suggestion?

THE MINISTER OF ENERGY (SHRI P. RAMACHANDRAN): (a) No, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

Cadre of Central Hindi Secretariat Service

*445. SHRI T. S. NEGI: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government propose to create a cadre of Central Hindi Secretariat Service; and

(b) if so, whether before finalising the cadre, Government propose to circulate the draft rules for objections and for comments in all the Ministries with a view to provide opportunities to the concerned employees to give their opinion and to keep the interests of all concerned in view before finalising the relevant rules?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL):

(a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir.

“इज जहानारा दि कोपर आफ इन्दिराज लूट”
शीर्षक से समाचार

4139. श्री विनायक प्रसाद यादव : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 जून, 1978 के डिल्टज साप्ताहिक के प्रथम पृष्ठ पर “इज जहानारा दि कोपर आफ इन्दिराज लूट”

शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार वास्तविक स्थिति बतायेगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) और (ख). जी हां, श्रीमान् । 2-5-1978 को एक व्यक्ति श्री के० एन० धरवाल ने पालियामेंट स्ट्रीट पुलिस थाने में एक लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई थी जिसमें श्रीमती जहांगीर जयपाल सिंह के विरुद्ध यह आरोप लगाया था कि 26-4-1978 को उसने उससे दो हीरे जिनका वजन लगभग 8 कैरेट तथा मूल्य लगभग 10 लाख रुपये था, इस प्राश्वासन पर लिये थे कि वह बैंक से धन निकालने के पश्चात् उसी दिन भुगतान कर देगी । किन्तु बार-बार अनुरोध करने पर भी जब भ्रदायोगी नहीं की गई तो उसे हीरे वापस देने के लिए कहा गया जो उसने दे दिये । परन्तु दो हीरे जो वापस किए गए थे, कम वजन के थे तथा उतने शुद्ध भी नहीं थे । मूल हीरों की संदिग्ध तबदीली के बारे में बताए जाने पर श्रीमती जहांगीर जयपाल सिंह ने कहा कि वह अब भी हीरों को खरीदने तथा मूल रूप से तय की गई कीमत भ्रदा करने को राजी हैं । उसके पश्चात् उसने दोनों हीरे ले लिये परन्तु कोई भुगतान नहीं किया । भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के अर्धिन एक मामला प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 319, दिनांक 3-5-78, पुलिस थाना पालियामेंट स्ट्रीट में दर्ज किया गया है तथा मामले की जांच पड़ताल दिल्ली पुलिस की प्रपराय शाखा को सौंप दी गई है ।

Cola Beverages

4140. SHRI R. L. P. VERMA: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Cola beverages can be made without Cola Nut extract; and

(b) if not, whether any standard has been laid down for Cola beverages?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI-MATI ABHA MAITI): (a) and (b). The position is not clear. Directorate General of Health Services is seeking the opinion of the Central Committee for Food Standards whether or not the Cola drinks should contain Cola nut extractives.